रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21—जनवरी 27, 2012 (माघ 1, 1933)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21—JANUARY 27, 2012 (MAGHA 1, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400005, दिनांक 16 दिसम्बर 2011

सं. गैबैंपवि (नीप्र) एमजीसी सं. : 6/मुमप्र (यूएस)-2011--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से बंधक (मार्गेज) गारंटी कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 2008 को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जक तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित करने का निदेश देता है यथा--

2. पैराग्राफ 27 में संशोधन

मौजूदा खण्ड "कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कम्पनी ऋण का अनुपात विक्रय मूल्य के (एलटीवी अनुपात वाले) 90% तथा अधिक होने की स्थिति में आवास/गृह ऋण की गारंटी नहीं देगी" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए "रुपये 20 लाख से अधिक के गृह/आवास ऋण के लिए कोई भी बंधक (मार्गेज) गारंटी कम्पनी, बंधक (मार्गेज) गारंटी नहीं देगी, जहां एलटीवी 80% से अधिक होगा"। छोटे मूल्य के गृह/आवास ऋण जैसे रुपये 20 लाख तक का गृह/आवास ऋण (जिसे प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिम में श्रेणीबद्ध किया गया है) के लिए एलटीवी अनुपात 90% से अधिक नहीं हों।

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2011

सं. एन-15/13/15/2/2011-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

"वर्द्धमान जिला पश्चिम बंगाल में तलित (जे. एल. सं. 10), चंदुल (जे. एल. सं. 14), झिंगुटी (जे. एल. सं. 15), नावाभाट (जे. एल. सं. 16), ईसुफाबाद (जे. एल. सं. 17), कासिमपुर (जे. एल. सं. 18), मतिअल (जे. एल. सं. 19), नाला (जे. एल. सं. 20), बहारपुर (जे. एल. सं. 22), कंचननगर (जे. एल. सं. 26), लकुरडी (जे. एल. सं. 29), सराईताकर (जे. एल. सं. 46), क्षेतिया (जे. एल. सं. 52), मालकिता (जे. एल. सं. 54), रायपुर (जे. एल. सं. 65), मिर्जापुर (जे. एल. सं. 66), रायन (जे. एल. सं. 68), बेचारहाट (जे. एल. सं. 79), पेमरा (जे. एल. सं. 82), कानदारसोना (जे. एल. सं. 86), कास्थकुरूम्बा (जे. एल. सं. 123), नाथपुर (जे. एल. सं. 125), साध्या (जे. एल. सं. 130), हाटगोविन्दपुर (जे. एल. सं. 136), हतकंडा (जे. एल. सं. 138), रामनगर (जे. एल. सं. 148), शक्तिगड (जे. एल. सं. 155), मौजा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

एच. के. मेहता
उप-निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/7/1/2011-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जनवरी, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

राजस्व ग्राम का नाम व नगरपालिका सीमाएं	होबली	तालुक	जिला
त्यावरेकोप्पा	कसबा	शिमोगा	शिमोगा

एच. के. मेहता
उप-निदेशक (यो. एवं वि.)

वास्तुकला परिषद्

नई दिल्ली-110003,

वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है । परिषद् को 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है ।

संगठनात्मक संरचना :

वास्तुकला परिषद् का प्रेसीडेंट संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है । संप्रति, प्रोफेसर विजय श्रीकृष्ण सोहोनी परिषद् के अध्यक्ष हैं ।

सांविधिक तथा अन्य समितियाँ :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देशों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियाँ गठित की हैं, यथा कार्यकारिणी समिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति; जो शिकायतों की जांच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है; सलाहकार समिति (अपील), जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं । इनके अलावा, विशेष/खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अन्य समितियाँ गठित की जाती हैं ।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुई :- 16 अगस्त, 2010 को 55वीं बैठक मंदुरै, तमिलनाडु में और 4 फरवरी, 2011 को 56वीं बैठक भुवनेश्वर, उड़ीसा में ।

कार्यकारिणी समिति की चार बैठकें हुईं अर्थात् नई दिल्ली में 6 जून, 2010 को 105वीं बैठक; मदुरै में 15 अगस्त, 2010 को 106वीं बैठक; नई दिल्ली में 26 नवम्बर, 2010 को 107वीं बैठक; भुवनेश्वर, उड़ीसा में 3 फरवरी, 2011 को 108वीं बैठक हुई ।
रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 **वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :**

परिषद् ने अपनी 55वीं बैठक में 01.01.2010 से 30.06.2010 तक की अवधि में 610 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया । इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुन: दर्ज किए गए थे ।

परिषद् ने अपनी 56वीं बैठक में 01.07.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि में 519 चूककर्ता वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया । इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुन: दर्ज किए गए थे ।

2.0 **निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :**

परिषद् ने अपनी 55वीं बैठक में वास्तुविद श्री श्रीहर्ष तुकाराम जाधव (सीए/2000/25915) का नाम उनकी मृत्यु होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिया ।

इसके अतिरिक्त परिषद् ने निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

(i) श्री तुषार एच. सुतारिया, जामनगर (सीए/2002/29443);
(ii) श्री प्रदीप अम्बादास इंगोले, पनवेल (सीए/95/19249); और
(iii) श्री प्रभाकर रामदाव द्योभंकर (सीए/75/1427)

परिषद् ने अपनी 56वीं बैठक में निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

(i) श्री रामचंद्र पी. कीनी, मुंबई (सीए /77/3617);

(ii) श्री प्रभात चंद्र, गुड़गांव (सीए /76/2388);

(iii) श्री महेंद्र पाल शर्मा, दिल्ली (सीए /77/3784);

(iv) श्री वी. एम. सोमसुंद्रम, सिकंदराबाद (सीए /76/2447);

(v) श्री आदेश कुमार, बरेली (सीए/79/5325);

(vi) श्री शोभाराम तमराकर, रायपुर (सीए/75/809);

(vii) श्री श्रीनिवास एम. गनोरकर, मुंबई (सीए/76/2670); और

(viii) श्री जी. डी. निराला, दिल्ली (सीए/2001/27197) ।

इसके अतिरिक्त, परिषद् ने निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा किए गए निवेदन पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :

(i) श्री विष्णु शर्मा, न्यूयार्क (सीए/77/4235);

(ii) श्री नित्यम गंभीर, नई दिल्ली (सीए/2000/26966); और

(iii) श्री अविनाश एन. जोशीराव, पुणे (सीए/75/942) ।

3.0 **अनुशासन समिति की बैठकें :**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की अनुशासन समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि वास्तुकला परिषद् नियम, 1973 में वर्ष 2009 में हुए संशोधन के अनुसार केंद्रीय सरकार को अनुशासन समिति का गठन करके उसे राजपत्र में अधिसूचित करना है । तथापि, केंद्रीय सरकार ने अभी तक अनुशासन समिति का गठन नहीं किया है और इसीलिए सभी मामले लंबित पड़े हैं ।

4.0 **वास्तुविदों का पंजीकरण :**

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है ।

वर्ष (1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 3583 व्यक्तियों का पंजीकरण किया । इस प्रकार 31 मार्च, 2011 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 51516 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है । इस प्रकार, वास्तुकला परिषद् में 31 मार्च, 2011 को वास्तुविद् के रूप में 39918 व्यक्तियों के पास वैध पंजीकरण है ।

5.0 **वास्तुविद बोर्ड, सिंगापुर और अन्य देशों के साथ पारस्परिक मान्यता करार :**

भारत सरकार और सिंगापुर सरकार के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के निबंधनों के अनुसार परिषद् वास्तुविद् बोर्ड, सिंगापुर के साथ पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए) करने के लिए वार्ता कर रही है जिससे कि भारतीय वास्तु-अर्हता और वास्तुविदों के पंजीकरण को सिंगापुर में और सिंगापुर वास्तु-अर्हता और वास्तुविदों के पंजीकरण को भारत में मान्यता प्रदान की जा सके ।

परिषद् वास्तुविद् बोर्ड, सिंगापुर के साथ इस मामले में बातचीत करके पारस्परिक मान्यता करार को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रही है ताकि एक-दूसरे के देश में वास्तुकलात्मक अर्हताओं और पंजीकरण को मान्यता मिल सके ।

6.0 **भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय भवन संहिता (कोड) का निर्माण :**

परिषद् ने अपने पत्र तारीख 30 अक्तूबर, 2009 के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए जा रहे राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) की कार्यवाहियों से अपने नामितों को निकाल लिया है । भारतीय मानक ब्यूरो ने राष्ट्रीय भवन संहिता के प्रस्तावित प्रावधानों में वास्तुविदों की सक्षमता और कार्यों को गैर-वास्तुविदों के पक्ष में निम्न दर्शाया है और वास्तुविदों के व्यवसाय को राष्ट्रीय भवन संहिता के अधीन विनियमित करने की कोशिश की है जोकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के विपरीत है।

राष्ट्रीय भवन संहिता के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी फार सेफ स्ट्रक्चर्स द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई है और राष्ट्रीय भवन संहिता के कुछेक भागों को चुनौती देने वाली परिषद् की रिट याचिका को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध करने के निदेश दिए हैं ताकि उच्च न्यायालय उसका निपटान करे ।

7.0 **वास्तुविदों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई :**

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णत: पालन करेगा । वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् ने अपनी 55वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध कदाचार की 2 शिकायतों पर विचार किया और एक रिपोर्ट प्रो. यू. सी. गडकरी को उनकी यह राय जानने के लिए भेजी कि क्या प्रथम दृष्टि में कोई मामला बनता है या नहीं और दूसरी रिपोर्ट प्रथम दृष्टि के आधार पर खारिज कर दी ।

परिषद् ने व्यावसायिक कदाचार के दोषी पाए गए 3 वास्तुविदों को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि भविष्य में ऐसे कदाचार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक कदाचार के दोषी पाए गए 3 में से दो वास्तुविदों को एक वर्ष के लिए व्यवसाय न करने की रोक लगाई और एक अन्य वास्तुविद को छह माह के लिए व्यवसाय न करने की रोक लगाई ।

8.0 **शिक्षा-सत्र 2010-2011 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :**

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 27 नई संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया । पहले से विद्यमान संस्थाओं में 3 नए बी. आर्की. डिग्री पाठ्यक्रमों, 8 नए एम. आर्की. डिग्री पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किया गया । इस प्रकार 2010-2011 में वास्तुकला में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की कुल संख्या बढ़कर 186 हो गई । छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानत: पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 10121, स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1060 और पीएच-डी स्तर पर 20 है ।

9.0 **शिक्षा-सत्र 2010-2011 से आगे अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :**

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2010-2011 के लिए 108 संस्थाओं के वास्ते बी. आर्की. और एम. आर्की पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई :

(i) वे संस्थाएं जिनमें 2010-2011 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 108

(ii) वे संस्थाएं जिनमें 2010-2011 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 20

(iii) वे संस्थाएँ जिनमें वर्ष 2010-2011 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" है : शून्य

(iv) वे संस्थाएं जिनकी 2010-2011 से 'मान्यता वापस' ले ली जाएगी : शून्य

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2011-2012 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है ।

10.0 **केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन विदेशी अर्हताओं की मान्यता :**

परिषद् को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विदेश अर्हताओं को मान्यता प्रदान की जाए :

1. इमाम खोमिनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तेहरान, इरान द्वारा प्रदान की जाने वाली मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री;
2. एनडीडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कराची, सिंध, पाकिस्तान द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री;
3. क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया द्वारा बैचलर ऑफ बिल्ट इनवायरनमेंट (आर्किटेक्चर) और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री; और
4. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग, डीकिन यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की जाने वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री ।

परिषद् की उप-समिति उपर्युक्त विदेशी अर्हताओं की जाँच कर रही है । इमाम खोमिनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तेहरान, इरान द्वारा प्रदान की जाने वाली मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री के बारे में परिषद् की सिफारिशें केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई हैं ।

11.0 **मान्यताप्राप्त अर्हताओं वाले व्यक्तियों को वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व वास्तुकला परिषद् द्वारा वृत्तिक परीक्षा का संचालन :**

परिषद् ने वास्तुविद के रूप में पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व वृत्तिक परीक्षा का संचालन करने से संबंधित मसौदा विनियमों को अनुमोदन कर दिया है । केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विनियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है । अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से भेंट करके इस मामले में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन पर शीघ्र कार्रवाही के लिए निवेदन किया है ।

12.0 **प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

वर्ष के दौरान शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । निआसा में आयोजित इन कार्यक्रमों में 76 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें देश के 33 वास्तुकला विद्यालयों और 7 व्यावसायिक कार्यालयों तथा संस्थाओं के सहभागी शामिल थे ।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
1.	सार्वजनीन डिजाइन बाधाहीन वास्तुकला	एकांश ट्रस्ट, पुणे	19 जुलाई से 23 जुलाई, 2010 तक	12
2.	अरली फैकल्टी इन्डक्शन प्रोग्राम	डॉ. उज्जवल चक्रदेव	1 अगस्त से 10 अगस्त, 2010 तक	09
3.	विरासत भवनों का प्रलेखन-चरण III कार्यशाला	वास्तुविद् सुधा पंडा	9 अगस्त से 13 अगस्त, 2010 तक	09
4.	भवन पद्धतियों में चूने का फिर से उपयोग करना	वास्तुविद् वैशाली लटकर	6 सितंबर से 10 सितंबर, 2010 तक	12
5.	नागपुर में विरासत भवनों का प्रलेखन	वास्तुविद् नीता लांबे	13 से 17 दिसंबर, 2010 तक	10
6.	अनुसंधान: संकल्पनाएँ और प्रणालियाँ	डॉ. वसुधा गोखले और डॉ. अभिजीत नाटू	17 से 21 जनवरी, 2011 तक	18
7.	ग्रामीण स्टूडियो परियोजना समीक्षा	प्रो. अनिरुद्ध पॉल और प्रो. जयश्री देशपांडे	9 से 10 मार्च, 2011 तक	06
		कुल सहभागी		76

कार्यक्रमों में सम्मिलित विषय निम्न प्रकार हैं :

1. **सार्वजनीन डिजाइन बाधाहीन वास्तुकला : 19 जुलाई से 23 जुलाई, 2010 (5 दिन) एकांश ट्रस्ट, पुणे द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**

1. एक्सेसीबिलिटी बियोन्ड फिजीकल ऐक्सेस ।
2. प्रयोज्यता, सार्वभौम डिजाइन ।
3. पहुँच के लिए वर्तमान विधिक ढाँचा ।
4. भावी प्रवृत्तियाँ ।
5. नगरीय स्ट्रीट दृश्य पर सार्वभौम डिजाइन ।
6. सांस्कृतिक क्षेत्रक में समावेश ।
7. संग्रहालयों और कम अवलोकित खेल-कूद और मरीना सुविधाएँ ।
8. अंत:क्रिया समस्या समाधान ।
9. भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए डिजाइनिंग ।
10. विशेष आवासन ।
11. वृद्धों और विकलांगों के लिए आवासीय स्थान ।
12. विकलांग-हितैषी उपलब्ध प्रौद्योगिकी ।
13. सुलभ परिवहन और इसका महत्व ।
14. आत्मविमोह (आटिज़्म) और पहुँच ।
15. कार्पोरेट क्षेत्र में अपंगता, नेत्रहीनों के लिए जीपीआरएस ।

2. **अरली फैकल्टी इन्डक्शन प्रोग्राम : 1 अगस्त से 10 अगस्त, 2010 (10 दिन) डॉ. उज्जवल चक्रदेव द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**

1. वास्तुकलात्मक शिक्षा सामान्य परिदृश्य ।
8. वास्तुकलात्मक शिक्षा में मॉडुलर थ्यौरी और उसका

2. शिक्षण / अधिगम के सिद्धांत ।
3. वास्तुकलात्मक शिक्षा में शिक्षण / अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग ।
4. वास्तुकलात्मक शिक्षा में अनुप्रयुक्त ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ।
5. शिक्षा का दर्शन ।
6. वास्तुकलात्मक शिक्षा में प्रकृतिवाद और आदर्शवाद ।
7. वास्तुकलात्मक शिक्षा में शिक्षा के मॉडल्स और उनका अनुप्रयोग ।
9. पार्श्विक चिंतन (लैटरल थिंकिंग) ।
10. वास्तुकला परिषद् से परिचय ।
11. भारत में वास्तुकला - शिक्षण की प्रवृत्तियाँ ।
12. वास्तुकला शिक्षा में संचार की समस्याएँ ।
13. सूक्ष्म शिक्षण तकनीकें ।
14. शिक्षण / डिजाइन में प्रलेखन प्रक्रिया ।

3. **विरासत भवनों का प्रलेखन चरण -III कार्यशाला : 9 अगस्त से 13 अगस्त, 2010 (5 दिन) वास्तुविद् सुधा पंडा द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**
   1. तकनीकी विशेषज्ञ सत्र ।
   2. भुवनेश्वर के विरासत स्थलों का दौरा ।
   3. माप और फोटोग्राफी के लिए पहचान किए गए प्रलेखन स्थलों का दौरा ।
   4. मापित आलेखों का प्रलेखन और निर्माण ।
   5. कटक में जोबरा के चालू संरक्षण स्थल का दौरा ।
   6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनंतिम रूपरेखा के लिए सहभागियों द्वारा प्रस्तुति ।
4. **भवन पद्धतियों में चूने का फिर से उपयोग करना : 6 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2010 (5दिन) वास्तुविद् वैशाली लटकर द्वारा समन्वित**
   कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थल - अनुभव के अनेक सत्र शामिल थे ।
   सम्मिलित विषय :
   1. भवन पद्धतियों में चूने का फिर से उपयोग करना ।
   2. समसामयिक परियोजनाओं में निर्माण के लिए सामग्री के रूप में चूने की उपयुक्तता ।
   3. चूना - एक परिप्रेक्ष्य ।
   4. निर्माण सामग्री के रूप में चूना ।
   5. चूना-पत्थर - भवन-चूने का स्रोत ।
   6. चूना संरक्षण ।
   7. चूना कार्य की परंपराएँ ।
   8. चूने की जाँच-पड़ताल . . . . . एक संरक्षण परिप्रेक्ष्य ।
   9. संधारणीय भवन सामग्री के रूप में चूना ।
5. **नागपुर में विरासत भवनों का प्रलेखन : 13 से 17 दिसंबर, 2010 (5 दिन) : वास्तुविद् नीता लांबे द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**
   1. प्रलेखन और इसका महत्व ।
   2. सामान्य रूप में विरासत को समझना ।
   3. प्रलेखन : प्रकार, विधियाँ, तकनीकें और नियम ।
   4. नागपुर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ।
   5. क्षेत्र-कार्य से परिचय ।
   6. प्रलेखन और संरक्षण ।
   7. क्षेत्र / स्थल कार्य ।
   8. क्षेत्र-कार्य की प्रथम समीक्षा ।
   9. संरक्षण परियोजनाओं का अध्ययन ।
6. **अनुसंधान : संकल्पनाएँ और प्रणालियाँ : 17 से 21 जनवरी, 2011 (5 दिन) डॉ. वसुधा गोखले और डॉ. अभिजीत नाटू द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**
   1. वास्तुकला में अनुसंधान का सिंहावलोकन और महत्व ।

2. वास्तुकला में अनुसंधान के क्षेत्र ।
3. वास्तुकला में अनुसंधान के प्रकार ।
4. अनुसंधान डिजाइन और प्रक्रिया ।
5. व्यवहार अनुसंधान में दृश्य प्रणालियाँ ।
6. अनुसंधान में नैतिकता ।
7. अनुसंधान में कंप्यूटरों का उपयोग ।
8. अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग ।
9. ऐतिहासिक अनुसंधान ।
10. रिपोर्टिंग अनुसंधान ।
11. डॉक्टोरल अनुसंधान और यूजीसी मार्ग-निर्देश ।

7. **ग्रामीण स्टूडियो परियोजना समीक्षा : 9 से 10 मार्च, 2011 (2 दिन) प्रो. अनिरुद्ध पॉल और प्रो. जयश्री देशपांडे द्वारा समन्वित सम्मिलित विषय :**

ग्रामीण स्टूडियो के सहभागियों के कार्य की समीक्षा विशेषज्ञ नामिका द्वारा की गई थी जिसमें निम्न सम्मिलित थे :

(क) प्रो. अख्तर चौहान
(ख) प्रो. अनिता गोखले - बेन्निंजर
(ग) प्रो. ऐन्सले लुइ
(घ) प्रो. जॉर्ज जोस

13.0 **राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (नाटा)**

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा 1 मार्च, 2010 से 30 सितंबर, 2010 तक आयोजित की गई थी । 'नाटा' 2010 परीक्षा पूरे भारत में फैले 117 केंद्रों पर संचालित की गई थी जिनमें 22272 परीक्षाएँ संचालित की गई थीं ।

14.0 **राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम :**

वास्तुकला परिषद् ने 'निआसा' के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु पाँचवां राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया । वर्ष 2010 के लिए पुरस्कार कार्यक्रम 15 अगस्त, 2010 से 7 अक्तूबर, 2010 तक दो चरणों में संचालित किया गया था । आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:-

जोन	स्थान	समन्वयकारी कॉलेज
1.	ग्वालियर	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर
2.	वल्लभ विद्यानगर	डी. सी. पटेल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अरविंद भाई पटेल इंस्टीट्यूटर ऑफ इनवायरनमेंटल डिजाइन, वल्लभ विद्यानगर
3.	शोलापुर	श्री सिद्धेश्वर शिक्षण मंडल्स कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, शोलापुर
4.	बेलगाम	स्कूल ऑफ ऑर्किटेक्चर, गोगटे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेलगाम
5.	त्रिचि	डिजाइन्ड इनवायरनमेंट एकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (डियर इंस्टीट्यूट), त्रिचि

आंचलिक जूरी के सदस्य ये थे :-

1.	ग्वालियर	वास्तुविद् जैमिनी मेहता, वास्तुविद् यशवंत राममूर्ति और वास्तुविद् सूर्य ककानी
2.	वल्लभ विद्यानगर	वास्तुविद् एम. एन. आशीष गंजु, वास्तुविद् बी. एस. भूषण और वास्तुविद् सौमित्र घोष
3.	शोलापुर	वास्तुविद् यतिन पंड्या, वास्तुविद् मीना मणि और वास्तुविद् मनोज माथुर
4.	बेलगाम	वास्तुविद् नितिन किलावाला, वास्तुविद् के. जयसिम और वास्तुविद् स्नेहांशु मुखर्जी
5.	त्रिचि	वास्तुविद् नरेंद्र डेंगले, वास्तुविद् उजान घोष और वास्तुविद् हबीब खान

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन ऐशान्य हाल, पुणे में किया गया । इसका समन्वय द् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, महाराष्ट्र चेप्टर, पुणे सेंटर और बी के पी एस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे द्वारा किया गया था । राष्ट्रीय फाइनल के लिए जूरी के सदस्य ये थे - वास्तुविद अशरफ सलाम (कतार), वास्तुविद मो. शहीर (नई दिल्ली) और वास्तुविद माधव जोशी (पुणे) ।

15.0 **वास्तुविद् राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय वास्तुविद् संस्थान महासम्मेलन**

भारतीय वास्तुविद् संस्थान पुणे केंद्र और महाराष्ट्र शाखा ने वास्तुविद् परिषद् के साथ लक्ष्मी लॉन्स, मगरापट्टा शहर, पुणे में 8 अक्तूबर, 2010 (शुक्रवार) को महासम्मेलन की और 9 अक्तूबर, 2010 (शनिवार) को वास्तुविद् राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की। इनके समन्वय और संचालन में 'निआसा' शामिल था ।

इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें श्री छगन भुजबल (उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य), श्री महेश जगाडे (आयुक्त, पुणे नगर निगम), श्री मोहन सिंह राजपाल (माननीय पुणे महापौर), वास्तुविद् प्रमोद कुरील (सदस्य-राज्य सभा) और पूरे देश से 2500 से अधिक वास्तुविद् शामिल थे ।

भारतीय वास्तुविद् संस्थान महासम्मेलन में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किया गया :

- पिछले 50 वर्षों से अधिक महाराष्ट्र की विभिन्न परियोजनाओं पर आधारित 'द् जर्नी' नामक स्मारक सचित्र पुस्तक के प्रकाशन का प्रारंभ ।
- दस सीओए-निआसा शोध-प्रबंध पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन ।
- मुंबई के वास्तुविद् हफीज़ कंट्रेक्टर के आधार व्याख्यान के बाद प्रतिष्ठित वास्तुविदों द्वारा प्रस्तुतियाँ और व्याख्यान ।
- उत्पाद विनिर्माताओं, प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं और शहर के प्रमुख भवन निर्माताओं के स्टालों की प्रदर्शनी ।
- महाराष्ट्र के उभरते वास्तुविदों, राज्य के 40 से अधिक वास्तुविद् विद्यालयों के छात्रों और अंतिम प्रवेश नामिकाओं के 10 चयनित सीओए-निआसा शोध-प्रबंध पुरस्कार विजेताओं के कार्यों की प्रदर्शनी / राज्य के 20 से अधिक वास्तुकला विद्यालयों ने जनता के अवलोकन के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों के साथ इसमें भाग लिया ।

वास्तुविद् राष्ट्रीय कांग्रेस (द आर्किटेक्ट्स नेशनल कांग्रेस) का आयोजन वास्तुविद् अधिनियम, 1972 से संबंधित नौ महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद-विवाद के लिए किया गया था, जिन पर एक साथ तीन पृथक मंचों पर वाद-विवाद हुआ ।

वाद-विवाद के विषय और उनसे संबंधित वक्ता निम्न थे :

1. वास्तुकला परिषद् और सरकारी केंद्रक मंत्रालय, वक्ता - प्रो. शिरीष देशपांडे (नागपुर) और प्रो. अख्तर चौहान (मुंबई) । इस सत्र की अध्यक्षता श्री उदय गडकरी, सदस्य कार्यकारिणी समिति, वास्तुकला परिषद् ने की ।
2. विदेशों में कार्य करने के लिए भारतीय अर्हताओं को समतुल्यता प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ पारस्परिक मान्यता करार (एमआरए), वक्ता - वास्तुविद् ए. एन. रामनाथन (नई दिल्ली) और वास्तुविद् रामाराजू (चैन्नई) । इस सत्र की अध्यक्षता श्री यू. सी. गडकरी, कार्यकारिणी समिति, वास्तुकला परिषद् ने की ।
3. सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक और सरकारी परियोजनाएँ- कार्य का आबंटन, कार्य-क्षेत्र और फीस संरचना के लिए क्रियाविधि और प्रतिमानक, वक्ता - वास्तुविद् निमीश पटेल (अहमदाबाद) और वास्तुविद पार्थ रंजन दास (कोलकाता) । इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती ऊषा कसाना, सदस्य, वास्तुकला परिषद् ने की ।
4. वृत्तिकों के लिए अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं का निर्माण, वक्ता - वास्तुविद् के. बी. जैन (अहमदाबाद) और वास्तुविद् जैमिनी मेहता (अहमदाबाद) । इस सत्र की अध्यक्षता भी भरत सेठ, सदस्य, वास्तुकला परिषद् ने की ।
5. पेशेवर वास्तुविदों के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता और सीओए प्रतिमानक, वक्ता - वास्तुविद् राजीव राजे (पुणे) और वास्तुविद् प्रमोद शिंदे (हैदराबाद) । इस सत्र की अध्यक्षता श्री के. बी. मोहपात्र, सदस्य कार्यकारिणी समिति, वास्तुकला परिषद् ने की ।
6. वास्तुविद् अधिनियम का कार्यान्वयन - भारत में विदेशी वास्तुविद्, वक्ता- वास्तुविद् हफीज़ कांट्रेक्टर (मुंबई) और वास्तुविद् आशीष गंजू (नई दिल्ली) । इस सत्र की अध्यक्षता श्री तुलियो डी सूजा, सदस्य, वास्तुकला परिषद् ने की ।
7. वास्तुकलात्मक पेशा और वृत्तिक क्षतिपूर्ति, वक्ता - वास्तुविद् जतिंदर सहगल (नई दिल्ली) और वास्तुविद् माधव देवभक्त (मुंबई) । इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती बलविंदर सैनी, सदस्य, वास्तुकला परिषद् ने की ।
8. वास्तुकलात्मक वृत्ति, फीस-मान और प्रासंगिक कानून, वक्ता- वास्तुविद् जोस मैथ्यू (कोट्टायम) और वास्तुविद् के. जयसिम (बंगलौर) । इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. मिलिंद तैलंग, प्रिंसिपल, सिंघड़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे ।
9. कार्पोरेट और बहुविषयक व्यवसाय की अनुमति के लिए वास्तुविद् अधिनियम में संशोधन, वक्ता- वास्तुविद् रवि जोशी (पुणे) और वास्तुविद् विश्वास कुलकर्णी (पुणे)। इस सत्र की अध्यक्षता श्री मिहिर मित्रा, सदस्य वास्तुकला परिषद् ने की ।

10. एक और दसवां मुद्दा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में हाल में प्रस्तुत बिल से संबंधित है। इसकी सूचना सहभागियों को प्रो. विजय सोहोनी, अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् ने प्रदान की ।

16.0 **वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताएँ :**

परिषद् वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं का संचालन करके अनेक प्रवर्तकों की उन्हें उनके भवनों के निर्माण के लिए वास्तुविदों का चयन करने में सहायता करती रही है, यथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कर मुख्यालय भवन के लिए; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा विमानपत्तन टर्मिनलों के निर्माण के लिए; वृक्कन मूत्र-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के उपभवन के निर्माण के लिए और साथ ही महाराष्ट्र सरकार की सहायता निजी वास्तुविदों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए भी की ।

परिषद् ने अनेक लोक प्राधिकारियों को लिखा है कि वे वास्तुविदों की नियुक्ति निविदा या बोली प्रक्रिया के जरिए न्यूनतम फीस की अदायगी के आधार पर न करके वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता दिशा-निर्देशों के अनुसार करें । प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने में जब भी परिषद् से दिशा-निर्देशों और निविष्टियों की मांग की उन्हें परिषद् द्वारा तुरंत उपलब्ध कराया गया है ।

17.0 **वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और इसके अधीन तैयार विनियमों को लागू करना**

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पदवी और शैली के दुरुपयोग के निषेध का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है । वास्तुविद् की पदवी और शैली के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् धारा 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज कराती है ।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली में दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और वास्तुविद् की पदवी और शैली का अयथार्थ रूप प्रस्तुत या दुरुपयोग किया है । इस समय 13 शिकायतें न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं ।
इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू करने से संबंधित और अन्य संबंधित मामलों के लगभग 76 मामले लंबित पड़े हैं जिनमें परिषद् एक पक्षकार है ।

18.0 **प्रकाशन :**

परिषद् द्वारा "आर्किटेक्चर- टाइम स्पेस एंड पीपल" नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है । यह पत्रिका पंजीकृत वास्तुविदों को नि:शुल्क भेजी जाती है । इस पत्रिका में परिषद् की गतिविधियाँ, वास्तुकला व्यवसाय से संबंधित मुद्दों और प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगतियों एवं अनुप्रयुक्त नवाचारों की उपयोगी सूचना दी जाती है । परिषद् इस पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन मै. लाइफस्टाइल मीडिया, नई दिल्ली की सहायता से कर रही है । परिषद् ने डाइरेक्टरी आफ आर्किटेक्ट्स तथा हैंडबुक आफ प्रोफेशनल डाकुमेंट्स 2011 को भी प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।

इसके अतिरिक्त, वास्तुकलात्मक शोध-प्रबंध 2009 के लिए उत्कृष्टता पुरस्कारों से संबंधित पुस्तक "आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 09" जिसके डिजाइन और विषय-वस्तु को अंतिम रूप दे दिया गया था वह 14 जून, 2010 को मुद्रित और प्रकाशित हो गई थी ।

निम्नलिखित पुस्तकें डिजाइनिंग प्रक्रिया में हैं और इनके शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है :

क) आर्बिट्रेशन फॉर आर्किटेक्ट्स : प्रो. माधव देवभक्त

ख) "आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 10" ।

19.0 **आभार :**

वास्तुकला परिषद् अपने अत्यल्प स्टाफ के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है । परिषद् केंद्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है । परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापकों के प्रति वास्तुविद्

अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है ।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2010-2011 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएँ प्रदान कीं ।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2011

विनोद कुमार
रजिस्ट्रार

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

नई दिल्ली-110017

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद्, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा (इसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं) की परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।

हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है । इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का पोषक साक्ष्य शामिल होता है । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14- लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ नोट सं. 04, 05, 07 और 09 के अध्यधीन हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है ।

हम रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियाँ रखी हुई हैं;
3. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण में -
   (क) 31 मार्च, 2011 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र;
   (ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे; और
   (ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार
ह./-
(सीए. शैलेश कुमार)
भागीदार (सदस्यता सं. 077337)

दिनांक : 20.07.2011
स्थान : नई दिल्ली

(लाभेतर संगठन)

31 मार्च 2011 को तुलन-पत्र

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
उद्दिष्ट निधियाँ	1	111768802.00	103889101.00
असुरक्षित ऋण	2	150000.00	150000.00
चालू देयताएँ	3	3726809.00	1049133.00
जोड़		**115645611.00**	**105088234.00**
परिसम्पत्तियाँ			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	4	6782137.00	7395246.00
निवेश	5	88091580.00	76049638.00
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ	6	15620776.03	16108787.24
अधिशेष / घाटा लेखा	7	5151117.97	5534562.76
जोड़		**115645611.00**	**105088234.00**
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

ह.
विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह.
(प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार

ह.
(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.07.2011

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	8	13370339.00	16628256.00
अन्य आय	9	8171159.00	5910170.00
प्रकाशनों से आय	10	1565249.00	1029397.00
अर्जित ब्याज	11	6757048.78	8040669.03
जोड़ (क)		**29863795.78**	**31608492.03**
व्यय			
स्थापना व्यय	12	8863024.00	9719119.00
प्रशासनिक व्यय	13	19687692.99	21896249.85
मूल्यह्रास	4	929634.00	455822.00
जोड़ (ख)		**29480350.99**	**32071190.85**
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		383444.79	-462698.82
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		383444.79	-462698.82
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

ह.
विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह.
(प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार

ह.
(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 20.07.2011

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

(लाभेतर संगठन)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपयों में)

	प्राप्तियां	चालू वर्ष	गत वर्ष		अदायगियां	चालू वर्ष	गत वष
	1	2	3		4	5	6
I	रोकड़ जमा			I	व्यय		
क)	नकदी शेष	39,425.00	9,500.00	क)	स्थापना व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	88,63,024.00	97,19,119.00
ख)	बैंक शेष			ख)	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13 के अनुसार)	1,96,87,692.99	2,18,96,249.85
1)	चालू खाते में	1,40,956.67	98,784.67				
2)	बचत खाते में	37,11,300.21	33,04,420.41				
3)	ड्राफ्ट हाथ में	2,65,712.00	1,18,260.00				
II	प्राप्त निधियां			II	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियां		
क)	मूल्यांकन फीस	71,30,000.00	96,95,000.00	क)	एमएचए व्यय	0.00	0.00
ख)	वास्तुविद् निर्देशिका के लिए विज्ञापन	28,77,619.00	54,46,536.00	ख)	नाटा व्यय	94,45,961.00	1,20,69,613.00
ग)	माध्यस्थम् फीस (निवल)	26,000.00	13,000.00	ग)	वास्तुविद् निर्देशिका व्यय	3,30,900.00	60,72,614.00
घ)	क्लिमोन से प्राप्तियां	0.00	0.00	घ)	मूल्यांकन तथा निरीक्षण व्यय	67,45,030.00	71,95,694.00
III	प्राप्त ब्याज						
क)	बैंक जमा पर	62,77,912.95	66,74,482.00				
ख)	ऋण, पेशगियां आदि	96,000.00	96,000.00	III	निवेश और जमा की गई राशियां		
ग)	बचत बैंक खाते पर	1,77,472.83	96,933.03	क)	उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से	1,20,41,942.00	6,36,93,667.00
घ)	आयकर विभाग से	86,125.00	21,780.00	ख)	निजी निधियों (निवेश-अन्यों) से	0.00	0.00
IV	फीस से आय			IV	स्थिर परिसंपत्तियों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क)	पंजीकरण फीस	18,67,000.00	16,81,000.00	क)	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	3,16,525.00	6,58,873.00
ख)	वार्षिक नवीकरण फीस	21,05,900.00	25,31,500.00				
ग)	पुनः स्थापन फीस	11,34,000.00	13,87,000.00				
घ)	अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	1,54,500.00	1,45,000.00				
ङ)	वास्तुविदों से जुर्माना	48,69,540.00	79,22,530.00				

1		2	3	4		5	6
	च) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	32,39,199.00	29,61,226.00				
	छ) अतिरिक्त अर्हता	200.00	0.00				
V	अन्य आय			V	अन्य अदायगियाँ		
	क) प्रकाशनों से आय	2,55,855.00	3,95,805.00		क) बैंक/कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	6,19,187.83	7,74,320.00
	ख) पत्रिकाओं की राएल्टी तथा अभिदान	3,27,224.00	4,26,954.00		ख) स्टाफ को पेशगियाँ	7,98,750.00	1,37,750.00
	ग) समता फीस (निवल)	3,000.00	13,000.00		ग) अन्य पेशगियाँ	1,00,000.00	7,14,272.38
	घ) आर. टी. आई. फीस	290.00	320.00		घ) लेखागत आंशिक फीस	38,939.00	0.00
	ङ) नाटा फीस	1,72,02,860.00	1,41,22,282.00		ङ) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	32,39,199.00	29,61,226.00
	च) वास्तुकला संबंधी पुस्तकों की बिक्री	10,08,569.00	2,48,190.00		च) सीपीएफ अंशदान देय	0.00	4,56,842.00
VI	अन्य प्राप्तियाँ				छ) विज्ञापनदाताओं से प्राप्य राशि	14,19,788.00	0.00
	क) एक बारगी नवीकरण फीस	1,11,18,900.00	81,87,900.00		ज) विधिक व्यय के लिए प्राप्य राशि	6,02,350.00	0.00
	ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	0.00	6,00,00,000.00		झ) प्राप्ति योग्य राशि	400.00	0.00
	ग) उपस्करों की बिक्री	0.00	0.00		ञ) सीपीएफ अंशदान पेशगी	0.00	86,418.00
	घ) स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	6,01,129.00	3,93,476.00	VI	रोकड़ जमा		
	ङ) वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	18,33,469.24	40,57,103.00		क) नकदी शेष	31,000.00	39,425.00
	च) टीडीएस (धन) वापसी	7,75,810.00	1,98,040.00		ख) बैंक शेष		
	छ) लेखागत आंशिक फीस	0.00	69,705.00		1) चालू खाते में	1,72,806.67	1,40,956.67
	ज) प्रोद्भूत ब्याज से ब्याज समायोजित	7,39,969.57	0.00		2) बचत खाते में	35,25,080.98	37,11,300.21
	झ) कर/राशि देय	1,54,776.00	0.00		3) ड्राफ्ट हाथ में	2,42,138.00	2,65,712.00
	ञ) मूल्यह्रास का उत्क्रमण	0.00	2,78,325.00				
	जोड़	6,82,20,714.47	13,05,94,052.11		जोड़	6,82,20,714.47	13,05,94,052.11

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

ह. ह.

(रजिस्ट्रार (प्रेसीडेंट)

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार

ह.

(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20.07.2011

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400005, the 16th December 2011

No. DNBS(PD)MGC No. 6/CGM(US)-2011—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Mortgage Guarantee Company (Reserve Bank) Guidelines 2008 in exercise of the powers conferred by sections 45JA and 45(L) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows, namely :—

2. Amendment of paragraph 27 —

The existing clause "No mortgage guarantee company shall provide mortgage guarantee for a housing loan with 90% and above LTV ratio" shall be substituted with the following "No mortgage guarantee company shall provide mortgage guarantee for a housing loan above Rs. 20 lakhs where the LTV exceeds 80%". For small value housing loans i.e. housing loan upto Rs. 20 lakh (which get categorized as priority sector advances), LTV ratio should not exceed 90%.

Yours faithfully
UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-in-Charge

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th December 2011

No. N-15/13/15/2/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of West Bengal namely :—

"Areas comprising Mouzas of TALIT (JL No. 10), CHANDUL (JL No. 14), JHINGUTI (JL No. 15), NAWABHAT (JL No. 16), ISUFABAD (JL No. 17), KASHIMPUR (JL No. 18), MATIAL (JL No. 19), NALA (JL No. 20), BAHARPUR (JL No. 22), KANCHANNAGAR (JL No. 26), LAKURDI (JL No. 29), SARAITAKAR (JL No. 46), KSHETIA (JL No. 52), MALKITA (JL No. 54), RAYPUR (JL No. 65), MIRJAPUR (JL No. 66), RAYAN (JL No. 68), BECHARHAT (JL No. 79), PEMRA (JL No. 82), KANDARSONA (JL No. 86), KASTHAKURUMBA (JL No. 123), NATHPUR (JL No. 125), SADDYA (JL No. 130), HATGOBINDAPUR (JL No. 136), HATKANDA (JL No. 138), RAMNAGAR (JL No. 148), SAKTIGARH (JL No. 155) in the District of Burdwan, West Bengal".

H.K. MEHTA
Dy. Director (P&D)

No. N-15/13/7/1/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

Name of the Rev. Village of Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
Thyavarekoppa	Kasaba	Shimoga	Shimoga

H.K. MEHTA
Dy. Director (P&D)

COUNCIL OF ARCHITECTURE

New Delhi-110003

ANNUAL REPORT 2010 – 2011

The Council of Architecture, constituted under the Architects Act, 1972 under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ended on 31.03.2011.

Organisational Structure:

President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions. Presently Prof. Vijay Shrikrishna Sohoni is the President of the Council of Architecture.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other committees are constituted from time to time for particular / special purposes.

Meetings of the Council and its Committees:

During the year under report, the Council met twice i.e. 55th Meeting was held on 16th August, 2010 at Madurai, Tamilnadu and 56th Meeting was held on 4th February, 2011 at Bhubaneswar, Orissa.

The Executive Committee met four times i.e. 105th Meeting on 6th June, 2010 at New Delhi, 106th Meeting on 15th August, 2010 at Madurai, 107th Meeting on 26th November, 2010 at New Delhi and 108th Meeting on 3rd February, 2011 at Bhubaneswar, Orissa.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 55th meeting approved the restoration of names of 610 defaulting architects, whose name were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fee, during the period from 01.01.2010 to 30.06.2010.

The Council at its 56th Meeting approved the restoration of names of 519 defaulting architects, whose name were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fee, during the period from 01.07.2010 to 31.12.2010.

2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO REQUEST AND DEATH:

The Council at its 55th Meeting removed the name of Shri Shreeharsh Tukaram Jadhav (CA/2000/25915) architect upon his death.

Further, the Council also removed the names of following architects upon their request :

i) Shri Tushar H. Sutaria, Jamnagar (CA/2002/29443);
ii) Shri Pradeep Ambadas Ingole, Panvel (CA/95/19249); and
iii) Shri Prabhakar Ramrao Deobhankar (CA/75/1427).

The Council at its 56th Meeting removed the names of the following architects upon their death :

i) Shri Ramchandra P. Kini, Mumbai (CA/77/3617);
ii) Shri Prabhat Chandra, Gurgaon (CA/76/2388);
iii) Shri Mahender Pal Sharma, Delhi (CA/77/3784);
iv) Shri V. M. Somasundram, Secunderabad (CA/76/2447);
v) Shri Adesh Kumar, Bareilly (CA/79/5325);
vi) Shri Sobha Ram Tamrakar, Raipur (CA/75/809);
vii) Shri Shriniwas M. Ganorkar, Mumbai (CA/76/2670; and
viii) Shri G. D. Nirala, Delhi, (CA/2001/27197).

Further, names of following architects were removed upon their request :

i) Shri Vishnu Sharma, Newyork (CA/77/4235);
ii) Shri Nityam Gambhir, New Delhi (CA/2000/26966); and
iii) Shri Avinash N. Joshirao, Pune (CA/75/942).

3.0 MEETINGS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE :

During the year under report, no meeting of the Disciplinary Committee of the Council was held as under the Council of Architecture Rules, 1973 as amended in 2009 the Central Government has to constitute the same and notify in official gazette. However, till date the Central Government has not constituted the Disciplinary Committee and therefore all the cases are pending.

4.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2010 to 31st March, 2011), the Council has registered 3583 persons as architects and with this as on 31st March, 2011, a total of 51516 persons have been registered as architects with Council of Architecture. As on 31st March, 2011, 39918 persons hold valid registration with the Council of Architecture.

5.0 MUTUAL RECOGNITION AGREEMENT WITH BOARD OF ARCHITECTS SINGAPORE & OTHER COUNTRIES:

In terms of the Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) signed between Government of India and Government of Singapore the Council is negotiating to enter into a Mutual Recognition Agreement (MRA) with the Boards of Architects Singapore for recognition of Indian architectural qualification and architects to practice in Singapore and vice-versa.

The Council is undertaking negotiations with the Board of Architects Singapore in the matter to finalize the MRA for recognition of Architectural Qualifications and Registration of each other's country.

6.0 NATIONAL BUILDING CODE BY BUREAU OF INDIAN STANDARDS

The Council vide its letter dated 30th October, 2009, has withdrawn all its nominees from the proceedings of the National Building Code (NBC) being prepared by the Bureau of Indian Standards. The Bureau of Indian Standards in the proposed provisions of NBC have usurped the competence and functions of Architects in favour of non-architects and tried to regulate their profession of Architects under the provisions of the NBC contrary to provisions of the Architects Act, 1972.

The PIL filed by Society for Safe Structures for implementation of NBC in Supreme Court has been dismissed by the Hon'ble Supreme Court and Writ Petition of Council challenging some of the parts of NBC has been directed to be listed before the Hon'ble Delhi High Court for disposal by the High Court.

7.0 DISCIPLINARY ACTION ON ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the architect.

The Council at its 55th Meeting considered 2 complaints for professional misconduct against architects and one complaint to Prof. U.C. Gadkari for his opinion whether there exists a prima case of not and the other complaint was dismissed as no prima facie case was found.

The Council cautioned 3 Architects who were found guilty of professional misconduct to not to repeat such conduct. Further 2 Architects who were found guilty of professional misconduct were suspended from practice for a period of one year and one another Architect who was found guilty of professional misconduct was suspended from practice for a period of 6 months.

8.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2010 – 2011:

During the year under report **27** New institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses. In the already existing institutions **3** new B.Arch. degree courses and **8** new M.Arch. Degree courses were granted approval. With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture has risen to 186 in 2010-2011. The annual intake of students (approx.) Undergraduate (UG) level is **10121,** Postgraduate (PG) level is **1060** and at Ph.D is **20**.

9.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2010-2011 ONWARDS:

Council of Architecture granted extension of approval or otherwise for B.Arch. & M.Arch. Courses to **108** institutions for the academic session 2010-2011 as under:

i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2010-2011 onwards with existing or higher intake: **108**.
ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. Course for 2010-2011 onwards with existing or higher intake: **20**.
iii) Institutions put on 'No Admission' for 2010-2011: **NIL**
iv) Institutions put on 'Withdrawal of recognition' for 2010-2011: **NIL**

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2011-2012 of institutions, which are due for inspections.

10.0 RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972 BY THE CENTRAL GOVERNMENT

The Council has received reference from the Central Government for recognition of the following foreign qualifications for the purposes of the Architects Act, 1972:

i) Master of Architecture Degree awarded by Imam Khomeini International University, Tehran, Iran ;
ii) Bachelor of Architecture Degree awarded by NED University of Engineering & Technology, Karachi, Sind, Pakistan;
iii) Bachelor of Built Environment (Architecture) and Bachelor of Architecture Degree by Queensland University of Technology, Brisbane, Australia; and
iv) Bachelor of Architecture Degree awarded by School of Architecture & Building, Deakin University, Australia.

A Sub-committee of the Council has been examining the above foreign qualifications. Recommendations of the Council in respect of Master of Architecture Degree awarded by Imam Khomeini International University, Tehran, Iran, have been sent to the Central Government in the Ministry of HRD.

11.0 CONDUCT OF PROFESSIONAL EXAMINATION BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE BEFORE GRANTING REGISTRATION AS AN ARCHITECT TO PERSONS POSSESSING RECOGNISED QUALIFICATIONS.

The Council approved the Draft Regulations for conduct of Professional Examination by it before registering any person as an architect. The Regulations have been sent to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India for conveying the approval of the Central Government. The President, Council of Architecture has also met Hon'ble Minister of HRD for expediting the approval of the Central Government in the matter

12.0 TRAINING PROGRAMMES :

7 training programme were conducted for teachers and professional Architects during the year. The programmes were attended by 76 participants representing 33 schools of architecture and 7 professional offices and institutes across the country at NIASA.

The details of the programmes are as follows;

Sr. No.	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Participants
1	Universal Design Barrier free Architecture	Ekansh Trust, Pune	19th July to 23rd July, 2010	12
2	Early Faculty Induction Programme	Dr. Ujwala Chakradeo	1st August to 10th August, 2010.	09
3	Documentation of Heritage Buildings" Stage III workshop	Ar. Sudha Panda	9th August to 13th August, 2010	09
4	Reviving the use of Lime in Building Practices	Ar. Vaishali Latkar	6th Sept. to 10th Sept. 2010	12
5	Documentation of Heritage Buildings" at Nagpur	Ar. Neeta Lambe	13th to 17th December, 2010	10
6	Research: Concepts and Methods	Dr. Vasudha Gokhale & Dr. Abhijit Natu	17th to 21st January, 2011	18
7	Rural Studio Project Review	Prof. Anirudh Paul & Prof. Jayashree Deshpande	09th to 10th March, 2011	06
	Total participants			**76**

The topics covered during the programmes are as follows;

1. **Universal Design Barrier free Architecture: 19th July to 23rd July, 2010 (5 days) Coordinated By Ekansh Trust, Pune**

Topics covered:

1. Accessibility beyond physical access.
2. Usability, Universal Design.
3. The present legal framework for Accessibility.
4. Future trends.
5. Universal Design on the urban streetscape.
6. Inclusion in the culture sector.
7. Museums and less observed sports and marina facilities.
8. Interactive problem solving.
9. Designing for the differently abled.
10. Special housing.
11. Residential spaces for the elderly and disabled.
12. Disabled friendly, accessible Technology.
13. Accessible transportation and its importance.
14. Autism and access.
15. Disability in the corporate realms, GPRS for the blind.

2. **Early Faculty Induction Programme: 1st August to 10th August, 2010. (10 days) Coordinated By Dr. Ujwala Chakradeo**

Topics covered:

1. Architecture Education General Scenario
2. Principles of Teaching / Learning
3. Application of Principles of Teaching / Learning to Architecture Education
4. Blooms Taxonomy applied to architecture education
5. Philosophy of Education
6. Naturalism and Idealism in Architecture Education
7. Models of Teaching and their application to Architecture Education
8. Modular Theory and its application in Architecture Education
9. Lateral Thinking
10. Knowing the Council of Architecture
11. Trends of teaching in Architecture in India
12. Problems of Transmission in Architecture Education.
13. Micro teaching Techniques
14. Documentation process in teaching /design

3. **Documentation of Heritage Buildings" Stage III workshop: 9th August to 13th August , 2010 (5 days) Coordinated By Ar. Sudha Panda**

Topics covered:

1. Technical Expert Session
2. Visit to Heritage sites of Bhubaneswar
3. Visit to Documentation site identified for measurements and photography
4. Documentation and preparation of measured drawings
5. Visit to ongoing Conservation site of Zobra at Cuttack
6. Presentation by participants for tentative outline of training programme

4. **Reviving the use of Lime in Building Practices: 6th Sept. to 10th Sept. 2010 (5 days) Coordinated By Ar. Vaishali Latkar**

The workshop and training programme included several sessions of on site experience

Topics covered:

1. Reviving the Use of Lime in Building Practices
2. Appropriateness of Lime as a Material for Construction in Contemporary Projects
3. Lime A Perspective
4. Lime as a Material
5. Limestone: A Source of Building Lime
6. Lime Conservation
7. Traditions in Lime Working
8. Investigating Lime.....A Conservation Perspective!
9. Lime as a Sustainable Building Material

5. **"Documentation of Heritage Buildings" at Nagpur: 13th to 17th December, 2010 (5 days) Coordinated By Ar. Neeta Lambe**

Topics covered:

1. Documentation and significance
2. Understanding Heritage in general
4. Documentation: Types, Method, Techniques & Principles
5. Nagpur & Historical Background
6. Introduction to field work
7. Documentation & Conservation
8. Field/Site Work
9. First Review of Field Work
10. Study of Conservation projects

6. **Research: Concepts and Methods: 17th to 21st January, 2011 (5 days) Coordinated By Dr. Vasudha Gokhale & Dr. Abhijit Natu**

Topics covered:

1. Overview & Significance of Research in Architecture
2. Areas of Research in Architecture
3. Types of Research in Architecture
4. Research Design & Process
5. 'Visual Methods in Behavioral Research'
6. Ethics in Research
7. Use of Computers in Research
8. Use of Statistics in Research
9. Historic Research
10. Reporting Research
11. Writing Skills
12. Doctoral Research and UGC guidelines

7. **Rural Studio Project Review: 09th to 10th March, 2011 (2 days) Coordinated By Prof. Anirudh Paul & Prof. Jayashree Deshpande**

The work of the participants of the rural Studio was review by a panel of experts comprising of:

a) Prof. Akhtar Chauhan
b) Prof. Aneeta Gokhale- Benninger
c) Prof. Ainsley Lewis
d) Prof. George Jose

13.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE

National Aptitude Test in Architecture was offered from 1st March 2010 till 30th September 2010 to prospective candidates looking forward to take up Architecture as career. The test was conducted through 117 centers spread across India and 22272 tests were conducted for NATA 2010.

14.0 NATIONAL THESIS AWARDS PROGRAMME

The Council through NIASA initiated the Fifth National Thesis Awards Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The Awards program for 2010 was conducted in two phases from 15th August 2010 to 7th October 2010. The zonal juries were held at the following places .

Zone	Place	Coordinating College
1.	Gwalior	School of Architecture, Madhav Institute of Technology & Science, Gwalior
2.	Vallabh Vidhyanagar	D.C. Patel School of Architecture, Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design, Vallabh Vidhyanagar
3.	Solapur	Shri Siddeshwar Shikshan Mandal's College of Architecture, Solapur
4.	Belgaum	School of Architecture, Gogte Institute of Technology, Belgaum
5.	Trichy	Designed Environment Academy & Research Institute (DEAR Institute), Trichy

The members of Jury for Zonals were :

1. Gwalior - Ar. Jaimini Mehta, Ar. Yeshwanth Ramamurthy & Ar. Surya Kakani
2. Vallabh Vidhyanagar - Ar. M.N.Ashish Ganju, Ar. B.S. Bhoosan & Ar. Saumitra Ghosh
3. Solapur - Ar. Yatin Pandya, Ar. Meena Mani & Ar. Manoj Mathur
4. Belgaum - Ar. Nitin Killawala, Ar. K. Jaisim & Ar. Snehanshu Mukherji
5. Trichy - Ar. Narendra Dengle, Ar. Ujan Ghosh & Ar. Habib Khan

The National Jury was held at Eshanya Hall, Pune, coordinated by The Indian institute of Architecture, Maharashtra Chapter, Pune Center and BKPS College of Architecture, Pune. The members of Jury for National finals were Ar. Ashraf Salama (Qatar), Ar. Mohd. Shaheer (New Delhi) & Ar. Madhav Joshi (Pune).

15.0 ARCHITECTS NATIONAL CONGRESS AND IIA MAHA CONVENTION

Indian Institute of Architects Pune Centre and Maharashtra Chapter, along with the Council of Architecture (COA), hosted a Maha-Convention on the 8th of October, 2010 (Friday), followed by the Architects National Congress on the 9th of October (Saturday), at Laxmi Lawns, Magarapatta City, Pune. NIASA was involved in the coordination and conduct of the event.

The programme was attended by various state administrative dignitaries, including Shri Chagan Bhujbal (Dy. Chief Minister, Maharashtra State), Shri Mahesh Zagade (Commissioner, Pune Municipal Corporation), Shri Mohansingh Rajpal (Hon. Mayor of Pune), Ar. Pramod Kureel (Member – Rajya Sabha) and more than 2500 architects from all over the country.

The IIA Maha Convention event included:

- Publication launch of a commemorative coffee-table book on the various projects of Maharashtra over the last 50 years, called "*The Journey.*
- Felicitation of the ten COA-NIASA Thesis Awards Finalists.
- Keynote address by Architect, Hafeez Contractor of Mumbai, followed by presentations and lectures by renowned architects.
- An exhibition of stalls of product manufacturers, technology solution providers and prominent city builders,
- A showcasing of the works of Maharashtra's budding architects, the students of more than 40 schools of architecture in the state, as well as the final entry panels of the 10 selected COA-NIASA Thesis Awards Finalists. More than 20 state schools of architecture participated by putting up their best works for the public to see.

The Architects National Congress was held for discussions on nine important issues pertaining to the Architects Act, debated over three separate forums in action simultaneously.

The topics discussed and the respective speakers were:

1. Council of Architecture and Government Nodal Ministry Speakers – Prof. Shireesh Deshpande (Nagpur) & Prof. Akhtar Chauhan (Mumbai). This session was chaired by Shri Uday Gadkari, Member, Executive Committee, Council of Architecture.

2. Mutual Recognition Agreements (MRA) with other countries to give equivalence to Indian qualifications for working abroad Speakers – Ar. A.N. Ramanathan (N. Delhi) & Ar. Ramaraju (Chennai). This session was chaired by Shri U. C. Gadkari, Member, Executive Committee, Council of Architecture.

3. Public, Semi-Public and Govt. Projects – Procedure and norms for allocation of job; scope of work and fees structure Speakers – Ar. Nimish Patel (Ahmedabad) & Ar. Partha Ranjan Das (Kolkata). This session was chaired by Smt. Usha Kasana, Member, Council of Architecture.

4. Creation of facilities for continuing education programmes for Professionals Speakers – Ar. K.B Jain (Ahmedabad) & Ar. Jaimini Mehta (Ahmedabad). This session was chaired by Shri Bharat Sheth, Member, Council of Architecture.

5. National Building Code and COA Norms for practicing Architects Speakers – Ar. Rajiv Raje (Pune) & Ar. Pramod Shinde (Hyderabad). This session was chaired by Shri K. B. Mohapatra, Member, Executive Committee, Council of Architecture.

6. Implementation of the Architects Act - Foreign Architects in India Speakers – Ar. Hafeez Contractor (Mumbai) & Ar. Ashish Ganju (N. Delhi). This session was chaired by Shri Tulio de Sousa, Member, Council of Architecture.

7. Architectural Practice and Professional Indemnity Speakers – Ar. Jatinder Saigal (New Delhi) & Ar. Madhav Deobhakta (Mumbai). This session was chaired by Smt. Balwinder Saini, Member, Council of Architecture.

8. Architectural profession, Scale of Fees, and relevant laws Speakers – Ar. Jose Mathew (Kottayam) & Ar. K. Jaisim (Bangalore). This session was chaired by Dr. Milind Telang, Principal, Sinhgad College of Architecture, Pune.

9. Amendment in Architects Act to allow for corporate and multidisciplinary practice Speakers – Ar. Ravi Joshi (Pune) & Ar. Vishwas Kulkarni (Pune). This session was chaired by Shri Mihir Mitra, Member, Council of Architecture.

10. There was also a 10th issue regarding the recent bill being tabled in the Rajya Sabha, for bringing changes in the Architects Act of 1972. This was brought to the notice of the participants, by Prof. Vijay Sohoni, President, Council of Architecture.

16.0 ARCHITECTURAL COMPETITIONS:

The Council is assisting a number of promoters for the conduct of the architectural design competitions for selection of architects for construction of their buildings, namely, construction of National Tax Headquarter Building in New Delhi by Ministry of Finance, Govt. of India, construction of airport terminals by Airport Authority of India, construction of Annex Building by Institute of Nephro Urology, Bangalore and also assisted in framing guidelines for appointment of private architects to Govt. of Maharashtra.

The Council also wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and not appointed through tender or bid process on payment of lowest fee. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were also made available as and when requests were received.

17.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972 AND REGULATIONS FRAMED THEREUNDER:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972, impose prohibition on misrepresentation as an architect as well as misuse of title and style of architect and violation of the prohibition is a punishable offence. Upon receipt of the complaints of misuse of title and style of architect, the Council files complaints u/s 39 before the First Class Magistrate for taking cognizance of the offences.

The Council is vigorously pursuing such criminal complaints filed before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the provisions of the Architects Act, 1972 and misrepresented or misused the title and style of architect. Presently about 13 complaints are pending for adjudication before the Court.

Further, a total of about 76 cases are pending in different courts relating to enforcement of the provisions of the Architects Act, 1972 and other related matters where Council is one of the parties.

18.0 PUBLICATIONS:

The Council has been publishing a magazine titled "architecture - time space & people". This magazine is being sent free of cost, to the registered architects. It provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied. The Council is printing and publishing this magazine with assistance of M/s. Lifestyle Media, New Delhi. The process

for publishing the Directory of Architects and Handbook of Professional Documents 2011 has started.

Further, the book on the Awards for Excellence in Architectural Thesis 2009 titled "Archiving Architectural Thesis '09" whose design and content had been finalised was printed and published on 14th June, 2010.

The following books are in the process of designing and are expected to be published shortly:

a. Arbitration for Architects: By Prof. Madhav Deobhakta
b. Archiving Architectural Thesis '10

19.0 ACKNOWLEDGEMENTS:

The Council is functioning with skeleton staff strength and catering efficiently on all India bases. The Council would like to place on record its appreciation and thanks to Central Government, all State Governments and all Schools of Architecture, for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditor, Advocates, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2010 –2011.

VINOD KUMAR
Registrar

New Delhi
Dated : 30.06.2011

*****

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

New Delhi-17

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **"COUNCIL OF ARCHITECTURE"**, India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2011, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2011, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion subject to note nos. 04, 05, 07 & 09 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-

   a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2011 and

   b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

   c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For **SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES**

CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 008621C

CA.SHAILESH KUMAR
PARTNER
M. NO. F-077337
Date : 20.07.2011
Place: New Delhi

(NON-PROFIT ORGANISATION)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
EARMARKED FUNDS	1	111768802.00	103889101.00
UNSECURED LOANS	2	150000.00	150000.00
CURRENT LIABILITIES	3	3726809.00	1049133.00
TOTAL		**115645611.00**	**105088234.00**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	6782137.00	7395246.00
INVESTMENTS	5	88091580.00	76049638.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	15620776.03	16108787.24
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	5151117.97	5534562.76
TOTAL		**115645611.00**	**105088234.00**
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN 008621C)

(SHAILESH KUMAR)
M. N. 077337

Place : New Delhi
Date : 20.07.2011

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2011 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	13370339.00	16628256.00
Other Income	9	8171159.00	5910170.00
Receipts from Publication	10	1565249.00	1029397.00
Interest Earned	11	6757048.78	8040669.03
TOTAL (A)		**29863795.78**	**31608492.03**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	12	8863024.00	9719119.00
Administrative Expenses	13	19687692.99	21896249.85
Depreciation	4	929634.00	455822.00
TOTAL (B)		**29480350.99**	**32071190.85**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		383444.79	-462698.82
Transferred to Surplus and Deficit Account		383444.79	-462698.82
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

Place : New Delhi
Date : 20.07.2011

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN 008621C)
(SHAILESH KUMAR)
M. N. 077337

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2011

(Amount – Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			I. Expenses		
a) Cash In hand	39,425.00	9,500.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 12)	88,63,024.00	97,19,119.00
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 13)	1,96,87,692.99	2,18,96,249.85
1) In Current accounts	1,40,956.67	98,784.67			
2) Savings Accounts	37,11,300.21	33,04,420.41	II. Payments made against funds for various Projects		
3) Drafts at Hand	2,65,712.00	1,18,260.00	a) MHA Expenses	0.00	0.00
			b) NATA Expenses	94,45,961.00	1,20,69,613.00
II. Funds Received			c) Directory of Architects Expenses	3,30,900.00	60,72,614.00
a) Evaluation Fees	71,30,000.00	96,95,000.00	d) Evaluation & Inspection Expenses	67,45,030.00	71,95,694.00
b) Advertisements for Directory of Architects	28,77,619.00	54,46,536.00			
c) Arbitration Fee (Net)	26,000.00	13,000.00	III. Investments and deposits made		
d) Receipts from Clinon	0.00	0.00	a) Out of Earmarked/Endowment funds	1,20,41,942.00	6,36,93,667.00
			b) Out of Own Funds.(Investments-Others)	0.00	0.0
III. Interest Received					
a) On Bank deposits	62,77,912.95	66,74,482.00	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
b) Loans, Advances etc.	96,000.00	96,000.00	a) Purchase of Fixed Assets	3,16,525.00	6,58,873.00
c) On Savings Bank Account	1,77,472.83	96,933.03			
d) From Income Tax Dept.	86,125.00	21,780.00	V. Other Payments		
			a) TDS deducted by the Bank/Companies	6,19,187.83	7,74,320.00
IV. Fee Income			b) Advances to Staff	7,98,750.00	1,37,750.00
a) Registration Fee	18,67,000.00	16,81,000.00	c) Other Advances	1,00,000.00	7,14,272.38
b) Annual Renewal Fee	21,05,900.00	25,31,500.00	d) Part Fees on Account	38,939.00	0.00
c) Restoration Fee	11,34,000.00	13,87,000.00	e) Apportionment of One Time Renewal Fees	32,39,199.00	29,61,226.00
d) Duplicate Certificate Fee	1,54,500.00	1,45,000.00	f) CPF Contribution Payable	0.00	4,56,842.00
e) Fine from Architects	48,69,540.00	79,22,530.00	g) Amount receivable from advertisers	14,19,788.00	0.00
f) Apportionment of One Time Renewal Fees	32,39,199.00	29,61,226.00	h) Amount receivable on a/c of Legal Expenses	6,02,350.00	0.00
g) Additional Qualification Fee	200.00	0.00	i) Amount receivable	400.00	0.00
			j) CPF Contribution Advance	0.00	86,418.00
V. Other Income					
a) Income from Publications	2,55,855.00	3,95,805.00	VII. Opening Balance		
b) Royalty of Magazine & Subscription	3,27,224.00	4,26,954.00	a) Cash In hand	31,000.00	39,425.00
c) Equivalence Fees (Net)	3,000.00	13,000.00	b) Bank Balances		
d) RTI Fees	290.00	320.00	1) In Current accounts	1,72,806.67	1,40,956.67
e) NATA Fees	1,72,02,860.00	1,41,22,282.00	2) Savings Accounts	35,25,080.98	37,11,300.21
f) Sale of Architectural Books	10,08,569.00	2,48,190.00	3) Drafts at Hand	2,42,138.00	2,65,712.00
VI. Other Receipts					
a) One Time Renewal Fee	1,11,18,900.00	81,87,900.00			
b) FDR's Matured during the Year	0.00	6,00,00,000.00			
c) Sales of Equipments	0.00	0.00			
d) Advances Recovered from Staff	6,01,129.00	3,93,476.00			
e) Other Advances Recovered	18,33,469.24	40,57,103.00			
f) TDS Refund	7,75,810.00	1,98,040.00			
g) Part Fee on Account	0.00	69,705.00			
e) Interest adjusted agst. Interest Accrued	7,39,969.57	0.00			
h) Taxes/ Amount payable	1,54,776.00	0.00			
i) Reversal of depreciation	0.00	2,78,325.00			
TOTAL	6,82,20,714.47	13,05,94,052.11	TOTAL	6,82,20,714.47	13.05,94,052.11

for and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
for SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants (FRN-008621C)

(SHAILESH KUMAR)
M. NO. F-077337

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012